झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद/ अपीलवाद संख्या 69 वर्ष 2023

विविधवाद/ प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्रीमती पारो देवी एवं अन्य, ग्राम-ओपाग, पं०-चुगरू, प्र०-बरवाडीह लातेहार

वाद प्रारंभ की तिथि 21/12/2023.

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदा०, लातेहार

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–69 / 2023 परिवादी श्रीमती पारो देवी एवं अन्य, ग्राम–ओपाग, पंचायत–चुंगरू, प्रखण्ड–बरबाडीह, जिला–लातेहार का परिवाद पत्र व्हाटसएप्प के माध्यम से दिनांक–05.12.2023 को आयोग को प्राप्त हुआ है। परिवादीगण द्वारा PDS डीलर श्री सुनील सिंह, अनु0 सं0–30 / 07 के विरूद्ध राशन कार्ड के लिए 2 हजार रू0 लेने एवं पर्ची निकालकर राशन नहीं देने का आरोप लगाया गया है। परिवाद पत्र में यह भी उल्लेख है कि दिनांक–27.07.2023 को लातेहार जिला में जन सुनवाई के दौरान उनके द्वारा इसकी शिकायत की गई थी किन्तु अबतक उन्हें राशन प्राप्त नहीं हुआ है। परिवादीगण द्वारा PDS डीलर एवं पणन पदाधिकारी के विरूद्ध FIR करने एवं राशन दिलाने का अनुरोध किया गया है। प्राप्त परिवाद पत्र पर आयोग स्तर से सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–11.01.2024 को निर्धारित की जाती है। प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान अपीलकर्ता को वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी, लातेहार को सशरीर आयोग कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–11.01.2024 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश . . . docx155	